राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 802/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर बांसवाड़ा , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 15-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री ए. के. अस्थाना, अधिशाषी अभियन्ता उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 26-01-2017 के द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद दिनांक 26-01-2017 पर की गई कार्यवाही की प्रतिलिपि चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 26-01-2017 से सूचना मांगी गई। अपीलार्थी द्वारा आवेदन में अंकित समान सूचना पूर्व में आवेदन दिनांक 26-12-2016 से भी चाही गई थी इसके संबंध में विनिश्चय दिनांक 07-02-2017 से अवगत करा दिया गया है तथा अपीलार्थी ने उसी सूचना के संबंध में पुनः दिनांक 26-01-2017 को आवेदन किया है तथा पूर्व में किये गये आवेदन की द्वितीय अपील संख्या 6952/2017 निर्णय दिनांक 02-11-2017 से खारिज की गयी है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 28-02-2018 प्रस्तुत किया है जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथनों की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर में उल्लेख किया है कि उक्त आवेदन में वांछित सूचना अपीलार्थी द्वारा उनके पूर्व आवेदन दिनांक 26-12-2016 से भी चाही गई थी जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 18-01-2017 से दो पृष्ठ की सूचना भिजवाते हुए अपीलार्थी को यह अवगत कराया गया था कि आपके आवेदन में उल्लेखित परिवाद को इस कार्यालय से आवश्यक कार्यवाही हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल

संसाधन सम्भाग, उदयपुर को भिजवा दिया गया है। प्रत्यर्थी ने यह भी अवगत कराया कि इस प्रकार की सूचना के संबंध में पूर्व में आयोग द्वारा अपील संख्या 6952/2017 निर्णय दिनांक 02-11-2017 से खारिज कर दी गयी है। अतः अपीलार्थी की यह अपील मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण खारिज की जावे।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार के आवेदन के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में अपील संख्या 6952/2017 खारिज कर दी गई है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त